भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2255
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

उच्च वेतन वाली नौकरियां

2255. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में उच्च वेतन वाली नौकरियों का सृजन करने के लिए सरकार ने क्या नीति तैयार की है;
(ख) सरकारी क्षेत्र में राज्य-वार कितने अनुबंधित कामगार कार्यरत है;
(ग) कोविड-19 महामारी के पश्चात् एमएसएमई क्षेत्र में कितनी नई नौकरियों का सृजन किया गया है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कितनी रोजगार प्रदान किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): सरकार ने चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020' अधिसूचित की हैं। श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो देश में और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों के सृजन का उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का भी संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा।

(ख): ऐसे कोई भी आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत वर्ष 2019 में लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा कवर किए गए संविदा श्रम की संख्या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 22,54,732 है।

(ग): सरकार ने विशेषकर पर कोविड -19 महामारी के उपरांत की स्थिति में देश में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में से कुछ हैं:

(i) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण।

(ii) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त स्वचालित ऋण।

(iii) एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी इन्फ्यूजन।

(iv) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मापदंड।

(v) बिजनेस में सुगमता के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।

(vi) 200 करोड़ रुपये तक के अधिप्रापण के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं, इससे एमएसएमई को सहायता मिलेगी मिलेगी।

आरबीआई ने भी एमएसएमई के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

एमएसएमई मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

(घ): उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	**सीपीएसई में रोजगार**
2017	15,03,093
2018	15,54,967
2019	15,14,064

*****